तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6106/2005/ नागौर** **सरकार बनाम पोकरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी ह
11-10-2019	**एकलपीठ** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थित :–** श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। —— **आदेश** 1– यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा–82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 10–08–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार नावाँ द्वारा निवेदन किया गया कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 मौजा श्यामगढ़ का खसरा नम्बर 187 रकबा 5.14 बीघा किस्म जमीन गैर मुमकिन नाडा सिवाय चक राजकीय भूमि दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 183 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 187 रकबा 5. 14 बीघा जरिये नियमन करने से श्री पोकरराम पुत्र पन्ना जाट सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज की गई, जो बिल्कुल गलत है एवं आवंटन योग्य नहीं है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 एवं अधिनियम की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडा होने के कारण इस भूमि का आवंटन अप्रार्थी को नहीं किया जा सकता था। उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत है। अतः विवादित भूमि को गैर मुमकिन नाडा दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10–08–2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6106/2005/ नागौर** **सरकार बनाम पोकरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी ह
	3— रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया गया, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4— योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले, तालाब और नाडी आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडा होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02—08—2004 के परिपेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति गैर मुमकिन नाडा दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। 5— योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 6— प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 मौजा श्यामगढ़ का खसरा नम्बर 187 रकबा 5.14 बीघा किस्म जमीन गैर मुमकिन नाडा सिवाय चक राजकीय भूमि दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 183 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 187 रकबा 5.14 बीघा जरिये नियमन करने से अप्रार्थी श्री पोकरराम पुत्र पन्ना जाट सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज की गई, जो बिल्कुल गलत है एवं आवंटन योग्य नहीं है। जिनकी खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती और न ही उक्त किस्म की भूमि बारानी भूमि में परिवर्तन करने का अधिकार है। चूँकि राजस्व अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडा होना स्पष्ट है, जो कि जलस्त्रोत की भूमि है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आती है तथा विवादित भूमि भू राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6106/2005/ नागौर** **सरकार बनाम पोकरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी ह

अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02–08–2004 पारित करते हुए नाला, नदी, तालाब व नाड़ी इत्यादि की भूमियों खातेदारी में दर्ज होने पर उसे निरस्त करने की कार्यवाही के आदेश प्रदान किए है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि की किस्म पूर्व की भांति गैर मुमकिन नाडा दर्ज किया जाना उचित समझते है।

7– फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन इसके आधार पर आदिनांक तक राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 5.14 बीघा वाके ग्राम श्यामगढ़ को सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन नाडा के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है।

8– आदेश की सूचना उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य